

IT 2706
18.3

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर
वित्त (नियम) विभाग

क्रमांक :- एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/172/2019/1284


दिनांक:- 14.03.2019

परिपत्र

यह ध्यान में आया है कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ4 (13)/मु./वित्त/नियम/172/2017/6865 दिनांक 18.12.2017 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत कर्मचारियों के दिनांक 01.07.2013 से संशोधित किये गये वेतन निर्धारण के फलस्वरूप बनने वाली व्यक्तिगत वेतन (PP) का समायोजन कर्मचारी के मंहगाई भत्ते में हुई वृद्धि से भी किया जा रहा है, जबकि इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक एफ4 (13)/मु./वित्त/नियम/172/2018/696 दिनांक 15.02.2018 द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि व्यक्तिगत वेतन (PP) का समायोजन भविष्य में होने वाली वेतन वृद्धि से ही किया जावे।

अतः यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कर्मचारी के व्यक्तिगत वेतन (PP) का समायोजन भविष्य में होने वाली वेतन वृद्धि से ही किया जावे न कि कर्मचारी को मिलने वाले अन्य भत्तों से।

उक्त निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।


(वीना गुप्ता)


वित्तीय सलाहकार

क्रमांक :- एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/172/2019/1284

दिनांक:- 14.03.2019

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक () रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक () रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक() रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
- ✓ 5. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
7. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0.....।
8. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम,।
9. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I() रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


(राज कुमार) 14/3/19
महा प्रबन्धक (वित्त)